20 SEP 1976
CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

रजिस्ट्री सं० डी-(डी)—73 REGISTERED No. D-(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 28, 1976 (भाद्रपद 6, 1898)
No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 28, 1976 (BHADRA 6, 1898)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	615
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1429
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1175
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	2213
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	2783
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	323
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	7469
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	717
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1683
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	139

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	615
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1429
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1175
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	2213
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	2783
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	323
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	7469
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	715
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1683
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	139

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 जुलाई 1976

सं० ए० 11019 (2)/76-प्रशा०III(एल० ए०)—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 255 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) की अधिसूचना सं० 11019 (3)/73-प्रशा० III (विधि कार्य) तारीख 14 मई, 1973 के अनुक्रम में आयकर अपीली अधिकरण के निम्नलिखित प्रत्येक सदस्य को उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

1. श्री के० टी० ठाकुर	लेखा सदस्य
2. श्री डी० एच० दत्ता	लेखा सदस्य
3. श्री डी० ए० उप्पोनी	लेखा सदस्य
4. श्री वी० राजगोपालन	न्यायिक सदस्य
5. श्री एस० नारायणन	लेखा सदस्य
6. श्री एम० पी० आगिकर	लेखा सदस्य
7. श्री ए० वाई० मेहता	लेखा सदस्य
8. श्री प्रकाश नारायण	लेखा सदस्य
9. श्री टी० वेंकटप्पा	न्यायिक सदस्य
10. श्री एस० पी० सुब्रह्मण्यन	न्यायिक सदस्य
11. श्री बी० एस० अहूजा	न्यायिक सदस्य
12. श्री दलीप सिंह	न्यायिक सदस्य
13. श्री डी० आर० खन्ना	न्यायिक सदस्य
14. श्री बी० एल० शेलार	न्यायिक सदस्य
15. श्री डी० डी० व्यास	न्यायिक सदस्य

एम० बी० राव, संयुक्त सचिव
एवं विधि सलाहकार

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(बैंकिंग पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई 1976

संकल्प

सं० एफ० 2/2/76-बी० ओ० II—विभिन्न सामाजिक-आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर आने वाले गुरुतर दायित्वों के संदर्भ में भारत सरकार ने, सरकारी क्षेत्र के बाईस बैंकों (अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक, इसके सात अनुषंगी बैंकों और चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों) की वर्तमान संगठनात्मक संरचना की व्यापक रूप से समीक्षा करने के लिये एक आयोग की स्थापना की है। यह आयोग सरकारी क्षेत्र के बैंकों की वर्तमान और भावी भौगोलिक एवं कार्यात्मक व्याप्ति, उनमें प्रचलित प्रबन्ध विकास की वर्तमान अवस्था और साथ ही कर्मचारियों के प्रेरक तत्वों के संरक्षण और संवर्द्धन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह समीक्षा करेगा और इन सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अनुकूलतम संख्या की इकाइयों में पुनः समूहित और पुनर्गठित करने सहित इन बैंकों की संरचना में ऐसे परिवर्तनों और अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करेगा जोकि निम्नलिखित को सुनिश्चित करने विषयक परिचालन कुशलता के संवर्द्धन के लिये आवश्यक हों :—

(क) 20 सूत्री-आर्थिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन को विशेषतः ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अधिक गहरी और अधिक सीधी अन्तर्ग्रस्तता;

(ख) बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता और निधियों के फैलाव दोनों ही दृष्टियों से, अधिक संतुलित क्षेत्रीय विकास की दिशा में तेज प्रगति, और

(ग) राष्ट्रीय आयोजना के ढांचे के भीतर बैंकिंग योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन की सुविधा के लिये विभिन्न स्तरों पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों और अन्य ऋण तथा विकास अभिकरणों के बीच घनिष्टतर संबंध।

यह आयोग उन अन्य सम्बद्ध विषयों के बारे में भी सिफारिश कर सकता है जो सरकार द्वारा विशेषतः इसे भेजे जायें।

2. इस आयोग में निम्नलिखित होंगे :—

1. श्री मनुभाईशाह — अध्यक्ष
भारत सरकार के भूतपूर्व
मंत्रिमंडलस्तरीय मंत्री

2. श्री निर्मल चन्द्र सेनगुप्त — सदस्य
सचिव
बैंकिंग विभाग

3. श्री जे० सी० लूथर — सदस्य
कार्यकारी निदेशक
भारतीय रिजर्व बैंक

4. श्री जे० एन० सक्सेना — सदस्य
भारतीय स्टेट बैंक के सेवानिवृत्त
मुख्य महाप्रबन्धक तथा बैंक ग्राफ इण्डिया
के भूतपूर्व अध्यक्ष

5. प्रो० ए० के० दत्त — सदस्य
कुलपति
नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय
सिलिगुड़ी

3. इस ग्रायोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा ग्रौर यह यथाशीघ्र कार्य ग्रारम्भ कर देगा । यह ग्रायोग वे सभी सूचना मंगा सरकता है ग्रौर गवाहियां ले सकता है जोकि यह ग्रावश्यक समझे भारत सरकार के मंत्रालय ग्रौर विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक ग्रौर सरकारी क्षेत्र के बैंक ग्रायोग को वे सभी सूचनाएं देंगे ग्रौर वह सहयोग प्रदान करेंगे, जिसकी उसे ग्रपेक्षा हो ।

4. यह ग्रायोग 12 महीने से ग्रनधिक ग्रवधि के भीतर ग्रपन रिपोर्ट सरकार को प्रस्यत कर देगा ।

ग्रादेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचना के लिए, भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

निर्मल चन्द्र सेनगुप्त, सचिव

वाणिज्य मन्त्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 ग्रगस्त 1976

संकल्प

सं० ई०-11011/10/75-हिन्दी—भारत सरकार ने वाणिज्य मंत्रालय के लिए एक हिन्दी सलाहकार समिति गठित करने का निश्चय किया है । इस समिति का गठन, कार्य ग्रादि निम्नानुसार होंगे :—

1. वाणिज्य मंत्री — ग्रध्यक्ष
2. वाणिज्य उपमंत्री — उपाध्यक्ष
3. श्री कार्तिक उरांव, संसद सदस्य — सदस्य
4. श्री एन० पी० यादव, संसद सदस्य — सदस्य
5. श्री पी० गंगा रेड्डी, संसद सदस्य — सदस्य
6. श्रीमती मुकुल बनर्जी, संसद सदस्य — सदस्य
7. श्रीमती मैमूना सुल्तान, संसद सदस्य — सदस्य
8. श्री पी० एल० कुरीर, संसद सदस्य — सदस्य
9. ग्रध्यक्ष, भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल परिसंघ, नई दिल्ली । — सदस्य
10. डा० नगेन्द्र, हिन्दी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय । — सदस्य
11. डा० वेणी शंकर झा, ग्रध्यक्ष, नागरी प्रचारिणी सभा, झा मार्ग, राईट टाऊन, जबलपुर — सदस्य
12. वाणिज्य सचिव — सदस्य
13. सचिव, विदेश व्यापार — सदस्य
14. सचिव, राजभाषा विभाग तथा भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार । — सदस्य
15. संयुक्त सचिव (हिन्दी), राजभाषा विभाग — सदस्य
16. मुख्य नियंत्रक, ग्रायात-निर्यात — सदस्य
17. ग्रध्यक्ष, ग्रखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड — सदस्य
18. ग्रध्यक्ष, राज्य व्यापार निगम — सदस्य
19. ग्रध्यक्ष, खनिज व धातु व्यापार निगम — सदस्य
20. कार्यकारी निदेशक, व्यापार विकास प्राधिकरण — सदस्य
21. संयुक्त सचिव, प्रभारी हिन्दी कार्य — सदस्य-सचिव

2. **कार्य**

इस समिति का कार्य, सरकारी कार्यों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से सम्बन्धित मामलों में मंत्रालय को सलाह देना होगा ।

3. कार्य-ग्रवधि

समिति का कार्य-काल, निम्नलिखित व्यवस्था के साथ उसके गठन की तारीख से तीन वर्ष का होगा ।

(1) समिति में नामजद संसद सदस्य जैसे ही संसद सदस्य नहीं रहेंगे तभी इस समिति के सदस्य भी नहीं रहेंगे ।

(2) ग्रवधि के बीच में रिक्त हुग्रा स्थान, सम्बन्धित सदस्य के स्थान पर उसके पद पर ग्राने वाले ग्रधिकारी से भरा जायगा, ग्रौर यह ग्रधिकारी तीन वर्ष की ग्रवधि के बकाया काल के लिए सदस्य होगा ।

4. विविध

(1) समिति ग्रावश्यकतानुसार ग्रतिरिक्त सदस्यों को सह-योजित कर सकेगी ग्रौर ग्रपनी बैठकों में भाग लेने के लिए विशेषज्ञों को ग्रामंत्रित कर सकेगी ग्रथवा उप-समितियां नियुक्त कर सकेगी ।

(2) समिति का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा लेकिन समिति ग्रपनी बैठकें किसी ग्रन्य नगर में भी कर सकती है ।

5. यात्रा व ग्रन्य भत्ता

समिति ग्रौर इस समिति की उप समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर यात्रा ग्रौर दैनिक भत्ता दिया जायेगा ।

ग्रादेश

ग्रादेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों ग्रौर संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, प्रधान मंत्री सचिवालय, मन्त्रि-मन्डल सचिवालय, संसद कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना ग्रायोग, राष्ट्रपति

सचिवालय, भारत के नियन्त्रक और महा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार और भारत सरकार के सभी मंत्रालय तथा विभागों को भेजी जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय ।

डी० डी० जोशी, संयुक्त सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली-110029, दिनांक 7 अगस्त 1976

सं० एफ० 1 (2)/74-एस० आर०-1—राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन पूंजीकृत कम्पनी) के अन्तर्नियमों के अनुच्छेद 89 के अनुसरण में और इस कार्यालय की 10 दिसम्बर, 1974 की समसंख्यक अधिसूचना के संशोधन में, राष्ट्रपति, नीचे दर्शाई गई अवधि में, तत्काल ही, निगम के निदेशक मण्डल में श्री ए० बी० दातार, संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के स्थान पर निम्नलिखित निदेशक नियुक्त करते हैं :—

नाम	जिस तिथि तक नियुक्ति की गई
श्री पी० एम० बेलिअप्पा, संयुक्त सचिव, (वित्त) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली-110029 ।	14-9-1976

एस० सी० सेठ, अवर सचिव

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय

(पर्यटन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 1976

संकल्प

सं० 7-टी० एल० (1)/70—पर्यटन कार परिचालकों को पर्यटकों के प्रयोग के लिए गाड़ियों का क्रय करने हेतु, आर्थिक सहायता प्रदान करने की दृष्टि से भारत सरकार के संकल्प संख्या 6-ए० एच० सी० (6)/64 दिनांक 16 जनवरी, 1970 द्वारा यथा-स्वीकृत एक योजना दिनांक 31 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकशित की गई थी । तत्पश्चात् भारत सरकार के संकल्प सं० 7-टी० एल० (1)/70 दिनांक 13 जुलाई, 1970, 14 जनवरी 1971, 25 जुलाई, 1972 और 10 जनवरी, 1974 द्वारा योजना की शर्तों में कतिपय छूटें प्रदान की गई थीं ।

पुनश्च यह निर्णय किया गया है कि योजना की कतिपय व्यवस्थाओं को उदार बनाया जाए । योजना में किए गए संशोधन, इस संकल्प के अनुबंध में दिए गए हैं ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रतिलिपि सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजी जाए और आम सूचना के लिये इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

निर्मल मुकर्जी, सचिव

अनुबंध

पर्यटक परिवहन गाड़ियों की किराया खरीद वाली योजना के अनुदेशों में ड्राफ्ट संशोधन ।

पैरा 9—सरकार का अंशदान

इस पैरे के पहले वाक्य में आने वाले इन शब्दों "85,000/- रुपये" और "1.3 लाख रुपये" के स्थान पर क्रमश: "1.25 लाख रुपये" और "2.25 लाख रुपये" पढ़ा जाए ।

ऊर्जा मंत्रालय

(विद्युत् विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 अगस्त 1976

संकल्प

सं० बिजली-दो-34 (20)/76—दक्षिणी क्षेत्र में उपलब्ध जल-विद्युत् और ईंधन संसाधनों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से दक्षिण क्षेत्रीय बिजली बोर्ड, जिसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्य शामिल हैं, का गठन भूतपूर्व सिचाई और विद्युत् मंत्रालय के संकल्प संख्या बिजली-दो-35 (1)/63, दिनांक 7 फरवरी, 1964 के अंतर्गत किया गया था । पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र तथा परमाणु शक्ति प्राधिकरण को प्रतिनिधित्व देने के लिए बोर्ड के संघटन से संबंधित संकल्प के पैरा (2) में संशोधन किया गया था । बोर्ड की गतिविधियों में घनिष्ठ समन्वय संबंधी लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन और मैसूर पावर कारपोरेशन के प्रतिनिधियों को बोर्ड में सदस्यों के रूप में शीघ्र नियुक्त किया जाए । उसके अनुसरण में, भूतपूर्व सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के संकल्प संख्या बिजली-दो-34 (5)/64, दिनांक 10 जुलाई, 1967 और संख्या बिजली-दो-34 (2)/73, दिनांक 2 फरवरी, 1973 द्वारा यथा-संशोधित उक्त मंत्रालय के संकल्प संख्या बिजली-दो 35 (1)/63, दिनांक 7 फरवरी, 1964 का पैरा 2 निम्न प्रकार गठित किया जाएगा :—

(1) अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड

(2) अध्यक्ष, केरल राज्य बिजली बोर्ड

(3) अध्यक्ष, तमिलनाडु बिजली बोर्ड

(4) अध्यक्ष, कर्नाटक बिजली बोर्ड

(5) मुख्य सचिव, पांडिचेरी सरकार

(6) परमाणु शक्ति प्राधिकरण का प्रतिनिधि

(7) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन का प्रबंध निदेशक

(8) मैसूर पावर कारपोरेशन का प्रबंध निदेशक

(9) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का प्रतिनिधि

(10) सदस्य सचिव

उपर्युक्त (1) से (4) में उल्लिखित सदस्य, प्रत्येक वर्ष, वर्णानुक्रम में बारी-बारी से क्षेत्रीय बिजली बोर्ड के अध्यक्ष होंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र, परमाणु शक्ति प्राधिकरण, नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन तथा मैसूर पावर कारपोरेशन को, भारत सरकार के मंत्रालयों को, प्रधान मंत्री सचिवालय को, राष्ट्रपति के सचिव, योजना आयोग तथा भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक को भेज दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ओटिमा बोर्डिया, संयुक्त सचिव

निर्माण और आवास मन्त्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई 1976

संकल्प

सं० क्यू०-11018/21/76-पी० एच० ई०—दिल्ली महानगरीय क्षेत्र तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विकास योजनाओं को बनाये तथा कार्यान्वित करने के पुनर्गठित उच्च शक्ति प्राप्त बोर्ड ने 1 मई, 1976 को हुई अपनी चौथी बैठक में सिफारिश की कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कस्बों में जलपूर्ति तथा मल-व्यवस्था के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु मार्ग-निर्देश तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाये। तदनुसार, भारत सरकार ने निम्नलिखित से युक्त एक समिति का गठन करने का निर्णय किया है :—

1. श्री टी० एस० स्वामी, — अध्यक्ष
सलाहकार (पी० एच० ई० ई०),
केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय
इंजीनियरी संगठन,
निर्माण और आवास मन्त्रालय

2. श्री सी० एस० चन्द्रशेखर, — सदस्य
मुख्य आयोजक,
नगर व ग्राम आयोजना संगठन,
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट,
नई दिल्ली।

3. श्री मतिनाथ जैन, — सदस्य
मुख्य इंजीनियर (डब्ल्यू०),
दिल्ली जल पूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान,
लिंक हाउस,
नई दिल्ली।

4. श्री जे० एल० सेठी, — सदस्य
मुख्य इंजीनियर,
हरियाणा लोक निर्माण विभाग,
लोक स्वास्थ्य शाखा,
सेक्टर-19 बी०,
चण्डीगढ़।

5. श्री के० एन० द्विवेदी, — सदस्य
प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ।

6. श्री पी० एस० राजवंशी
मुख्य अभियन्ता तथा
अतिरिक्त सचिव
राजस्थान सरकार
सार्वजनिक अभियन्ता
इंजीनियरी विभाग,
बंगला नं० 2,
सिविल लाईन, जयपुर।

7. श्री वी० वेनुगोपालन, — सदस्य सचिव
उप सलाहकार (पी० एच० ई० ई०),
केन्द्रीय लोकस्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय,
इंजीनियरी संगठन,
निर्माण और आवास मन्त्रालय,
नई दिल्ली।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के क्षेत्रीय कस्बों के लिए जलपूर्ति तथा मल-व्यवस्था की मास्टर प्लान तैयार करने हेतु मार्ग-निर्देश निर्धारित करना इस समिति के विचारार्थ विषय होंगे। मार्ग-निर्देशों में निम्नलिखित से संबंधित सिफारिशें शामिल की जायेंगी—

(क) प्रति व्यक्ति जलपूर्ति ;

(ख) जलपूर्ति के लिए संसापन चुनना ;

(ग) जलपूर्ति तथा मल-व्यवस्था के लिए डिजाइन मानदण्ड ;

(घ) जल तथा मल-व्यवस्था के संसापन के तरीके ;

(ङ) मास्टर प्लान रिपोर्ट तैयार करना तथा उनकी जांच करना ;

(च) मास्टर प्लान रिपोर्टे प्रस्तुत करने तथा योजनायें पूर्ण करने के लिए तारीखें निर्धारित करना ;

(छ) वित्तीय तथा अन्य दबावों का मूल्यांकन ; तथा

(ज) कार्यों के कार्यान्वियन के लिए चरण निश्चित करना।

3. समिति ऐसे अन्य व्यक्तियों को भी सहयोजित कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे।

4. समिति तीन महीने की अवधि के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

आदेश

1. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि सभी सम्बन्धितों को भेजी जाये।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जनसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

मीर नसरुल्लाह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS
(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 28th July 1976

No. A.11019(2)/76-Adm.III(LA).—In pursuance of sub-section (3) of section 255 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Department of Legal Affairs) No. A.11019(3)/73-Adm.III(LA), dated the 14th May, 1973, the Central Government hereby authorise each of the following members of the Income-tax Appellate Tribunal, for the purpose of the said sub-section, namely :—

1. Shri K. T. Thakore, Accountant Member.
2. Shri D. H. Dutta, Accountant Member.
3. Shri D. A. Upponi, Accountant Member.
4. Shri V. Rajagopalan, Judicial Member.
5. Shri S. Narayanan, Accountant Member.
6. Shri M. P. Argikar, Accountant Member.
7. Shri A. Y. Mehta, Accountant Member.
8. Shri Prakash Narain, Accountant Member.
9. Shri T. Venkatappa, Judicial Member.
10. Shri S. P. Subramanian, Judicial Member.
11. Shri B. S. Ahuja, Judicial Member.
12. Shri Dalip Singh, Judicial Member.
13. Shri D. R. Khanna, Judicial Member.
14. Shri B. L. Shalar, Judicial Member.
15. Shri D. D. Vyas, Judicial Member.

M. B. RAO, Jt. Secy.
& Legal Adviser

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING
(BANKING WING)

New Delhi, the 24th July 1976

RESOLUTION

No. 2/2/76-B.O.II.—In the context of the larger responsibilities devolving on the public sector banks in the implementation of the various socio-economic policies and programmes, Government of India have set up a Commission to review comprehensively the existing organisational structure of the twenty-two public sector banks, (*viz*. State Bank of India, its seven subsidiaries and the fourteen nationalised banks) keeping in view their existing and prospective geographical and functional coverage, the present stage of management development obtaining in them, and also the need for preserving and promoting factors motivating the employees and recommend such changes in the structure of these public sector banks, including their re-grouping and re-organisation into optimum number of units and other measures as may be necessary to promote operational efficiency to secure—

(a) a deeper and more direct involvement of public sector banks in the process of rural development having special regard to the implementation of the 20-Point Economic Programme;

(b) an accelerated progress towards a more balanced regional development, both in terms of availability of banking services and deployment of funds; and

(c) closer links between the public sector banks and other credit and development agencies at different levels to facilitate joint and coordinated action in formulating and implementing banking plans within the framework of national planning.

The Commission may make recommendations on any other related issues that may be specifically referred to it by the Government.

2. The Commission will consist of following persons —:

CHAIRMAN

1. Shri Manubhai Shah,
formerly Cabinet Minister,
Government of India.

MEMBERS

2. Shri N. C. Sen Gupta,
Secretary,
Department of Banking

3. Shri J. C. Luther,
Executive Director,
Reserve Bank of India.

4. Shri J. N. Saxena,
Retired Chief General Manager,
State Bank of India and foremerly Chairman,
Bank of India.

5. Prof. A. K. Datta,
Vice Chancellor,
North Bengal University,
Siliguri.

3. The Commission will have its headquarters at Delhi and will start functioning as early as possible. It may call for such information and take such evidence as it may deem necessary. Ministries and Departments of Government of India, Reserve Bank of India and the public sector banks will furnish such information and extend such other assistance as may be required by the Commission.

4. The Commission will submit its report to the Government within a period not exceeding 12 months.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

N. C. SEN GUPTA, Secy.

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 4th August 1976

RESOLUTION

No. E-11011/10/75-Hindi.—The Government of India have decided to constitute a Hindi Salahakar Samiti for the Ministry of Commerce. Its composition, functions etc. will be as given hereunder :—

CHAIRMAN

1. Minister of Commerce.

VICE-CHAIRMAN

2. Deputy Minister of Commerce.

MEMBERS

3. Shri Kartik Oraon, M.P.
4. Shri N. P. Yadav, M.P.
5. Shri P. Ganga Reddy, M.P.
6. Smt. Mukul Banerjee, M.P.
7. Smt. Maimoona Sultan, M.P.
8. Shri P. L. Kureel, M.P.
9. Chairman Federation of Indian Chamber of
Commerce & Industry,
New Delhi

10. Dr. Nagendra,
Hindi Department,
Delhi University.

11. Dr. Veni Shankar Jha,
Chairman,
Nagri Pracharini Sabha,
Jha Marg, Right Town,
Jabalpur (M.P.)

12. Commerce Secretary.

13. Secretary (Foreign Trade).

14. Secretary,
Department of Official Language and Hindi Adviser to the Government of India.

15. Joint Secretary (Hindi),
Department of Official Language.

16. Chief Controller of Imports & Exports.

17. Chairman,
All India Handicrafts Board.

18. Chairman,
State Trading Corporation.

19. Chairman,
Mineral and Metal Trading Corporation of India.

20. Executive Director,
Trade Development Authority.

MEMBER-SECRETARY

21. Joint Secretary,
(Incharge Hindi Work).

II. *Functions*

The function of the Samiti will be to advise the Ministry on matters relating to the progressive use of Hindi for official purpose.

III. *Tenure.*

The term of the Samiti will be three years from the date of its formation, provided that,

(1) a member of Parliament nominated to the Samiti shall cease to be a member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament.

(2) Any mid-term vacancy shall be filled up by the concerned member's successor in office, who shall be Member for the residue of the term of three years.

IV. *General.*

(1) The Committee may coopt additional members and invite experts to attend its meeting or appoint sub-committees as may be deemed necessary.

(2) Headquarters of the Samiti will be at New Delhi but it may hold its meetings at any other station also.

V. *Travelling and other Allowances.*

The non-official members will be paid travelling and daily allowances for attending the meetings of the Samiti and the sub-committees of the Samiti at the rates fixed by the Government of India from time to time.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, A.G.C.R. and All Ministries and Department of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

D. D. JOSHI, Jt. Secy.

DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY

New Delhi-110029, the 7th August 1976

No. F.1(2)/74-SR.I.—In pursuance of Article 89 of the Articles of association of the National Research Development Corporation (a company registered under the Companies Act of 1956) and in modification of this Department's Notification of even number, dated the 10th December, 1974, the President is pleased to appoint the following Director on the Board of Directors of the Corporation *vice* Shri A. B. Datar, Joint Secretary, Ministry of Finance (Department of Expenditure) with immediate effect against the period shown as below—

Name & Date upto which appointed

Shri P. M. Belliappa, Joint Secretary (Finance), Department of Science & Technology, New Delhi.—14-9-1976

S. C. SETH, Under Secy.

MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION
(DEPARTMENT OF TOURISM)

New Delhi, the 31st July 1976

RESOLUTION

No. VII-TL(1)/70.—A scheme to provide financial assistance to tourist car operators for the purchase of vehicles for the use of tourists, as sanctioned in Government of India Resolution bearing No. 6-AHC(6)/64, dated the 16th January 1970 was published in the Gazette of India dated the 31st January 1970. Certain relaxations in the terms and conditions of the scheme were made subsequently *vide* Government of India Resolution No. VII-TL(1)/70, dated 13th July 1970, 14th January, 1971, 25th July 1972 and 10th January 1974.

It has been decided further to liberalise certain provisions of the scheme. The amendment to the scheme is given in the annexure to this Resolution.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all concerened and that it be published in the Gazette of India for general information.

N. K. MUKARJI, Secy.

DRAFT AMENDMENT TO THE INSTRUCTIONS FOR THE HIRE PURCHASE SCHEME OF TOURIST TRANSPORT VEHICES

Para 9-Government's contribution

The words 'Rs. 85,000/-" and "Rs. 1.3 lakhs" occuring in the first sentence of this para may be substituted by the words 'Rs. 1.25 lakhs" and "Rs. 2.25 lakhs" respectively.

MINISTRY OF ENERGY
(DEPARTMENT OF POWER)

New Delhi, the 2nd August 1976

RESOLUTION

No. EL.II-34(20)/76.—With a view to deriving the maximum benefits from the available hydro-electric and fuel resources in the Southern Region, the Southern Regional Electricity Board comprising the State of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka and Kerala was constituted in February, 1964 vide earstwhile Ministry of Irrigation and Power Resolution No. EL-II-35(1)/63, dated the 7th February, 1964. Para (2) of the Resolution relating to the composition of the Board was amended to give representation to the Union Territory of Pondicherry and the Atomic Power Authority. In order to derive the benefits of close-coordination in the activities of the Board it has been decided to appoint representatives of the Neyveli Lignite Corporation and Mysore Power Corporation as Members of the Board with immediate effect. In pursuance thereof, para 2 of the erstwhile Irrigation and Power Ministry's Resolution No. EL-II-35(1)/63 dated the 7th February, 1964, as amended by that Ministry's

Resolutions No. EL.II-34(5)/64, dated the 10th July, 1967 and No. EL.II-34(2)/73, dated the 22nd February, 1973, shall be constituted as follows :—

(i) The Chairman, Andhra Pradesh State Electricity Board.

(ii) The Chairman, Kerala State Electricity Board.

(iii) The Chairman, Tamil Nadu Electricity Board.

(iv) The Chairman, Karnataka Electricity Board.

(v) The Chief Secretary, Government of Pondicherry.

(vi) A representative of the Atomic Power Authority.

(vii) The Managing Director, Neyveli Lignite Corporation.

(viii) The Managing Director, Mysore Power Corporation.

(ix) A representative of the Central Electricity Authority.

(x) The Member-Secretary.

The Members at (i) to (iv) above shall be the Chairman of the Regional Electricity Board by rotation in alphabetical order, every year.

ORDER

ORDERED that the above resolution be communicated to to the Governments and State Electricity Boards of Andhra Pradesh, Kerala, Tamil Nadu and Karnataka, Union Territory of Pondicherry, Atomic Power Authority, Neyveli Lignite Corporation and Mysore Power Corporation, Ministries of the Government of India, Prime Minister's Secretariat, Secretary to the President, the Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India.

OTIMA BORDIA Jt. Secy.

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 27th July, 1976

RESOLUTION

No. Q.11016/21/76-PHE.—The reconstituted High Powered Board for the formulation and implementation of the development Plans for Delhi Metropolitan area and the National Capital Region in its 4th meeting held on 1st May, 1976 has recomended the formation of a Committe to prepare guidelines for preparation of Master Plan for Water Supply and Sewerage in the towns of National Capital Region. Accordingly, the Government of India have decided to set up a Committee consisting of :—

CHAIRMAN

1. Shri T. S. Swamy,
Adviser (PHEE),
Central Public Health & Environmental Engineering Organisation,
Ministry of Works and Housing.

MEMBERS

2. Shri C. S. Chandrasekhara,
Chief Planner,
Town & Country Planning Organisation,
Indraprastha Estate, New Delhi.

3. Shri Malinath Jain,
Chief Engineer (W),
Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertaking,
Link House, New Delhi-110001.

4. Shri J. L. Sethi,
Chief Engineer,
Haryana P.W.D. Public Health Branch,
Sector 19-B, Chandigarh.

5. Shri K. N. Dwivedi,
Managing Director,
U.P. Jal Nigam, 6, Rana Pratap Marg,
Lucknow.

6. Shri P. S. Rajvanshi,
Chief Engineer and Addl. Secretary,
Government of Rajasthan,
Public Health Engineering Department,
Bunglow No. 2, Civil Lines,
Jaipur.

MEMBER-SECRETARY

7. Shri V. Venugopalan,
Deputy Adviser (PHEE),
Central Public Health and Environmental Engg. Organisation, Ministry of Works and Housing,
New Delhi.

2. The terms of reference of the Committee shall be to lay down guidelines for the preparation of Master Plans for Water Supply & Sewerage for the Regional towns in the National Capital Region. The guidelines shall include recommendations relating to :—

(a) Per capita water supply;

(b) Selection of sources for water supply;

(c) Design criteria for water supply and sewerage;

(d) Methods of water and sewage treatment;

(e) Preparation of Master Plan Reports and their scrutiny;

(f) Fixing up target dates for submission of Master Plan, Reports and for completion of Schemes;

(g) Assessment of Financial and other constraints; and

(h) Phasing for implementation of works.

3. The Committee may also co-opt such other persons as may be considered necessary.

4. The Commitee will submit its report within a period of three months.

ORDER

1. ORDERED that copy of the resolution be communicated to all concerned.

2. ORDERED also that a resolution be published in the Gazette of India for general information.

MIR NASARULLAH, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976